आर. एस. मोंगिया और के. सी. गुप्ता जे. जे.के समक्ष

राघबीर सिंह,-याचिकाकर्ता

बनाम

भारत संघ और अन्य,- प्रतीयार्थी

1998 का C.W.P No. 717/C

24 अगस्त, 2000

60 *भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 226-पंजाब सरकार राष्ट्रीय आपातकाल (रियायत) नियम, 1965 /*नियम 2 से *4-याचिकाकर्ता आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा पहले आपातकाल की अवधि के दौरान सैन्य सेवा प्रदान करने के बाद सिविल पोस्ट में शामिल हुए-यू. टी. प्रशासन ने उन्हें वेतन निर्धारित करने के उद्देश्य से सैन्य सेवा का लाभ दिया, लेकिन वरिष्ठता के उद्देश्य से इसे अस्वीकार कर दिया-1965 नियम यू. टी. में 1 नवंबर, 1966 के बाद भी लागू होते रहे है-याचिकाकर्ता अपनी वरिष्ठता निर्धारित करने के लिए भी सैन्य सेवा के लाभ का हकदार था।*

(दयानंद बनाम भारत संघ और अन्य, 1995 (1) एस. एल. आर. 1 (एस. सी.), का पालन किया गया)

यह माना गया कि पंजाब सरकार के राष्ट्रीय आपातकाल (रियायत) नियम, 1965 केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में 1 नवंबर, 1966 के बाद भी लागू होते रहेंगे जब तक वो यू. टी. प्रशासन द्वारा संशोधित, परिवर्तित या अस्वीकार नहीं किए जाते और वे 1 नवंबर, 1966 के बाद यू. टी. में नियुक्त कर्मचारियों जो उन नियमों के लाभ के लिए पात्र थे पर लागू होते रहेंगे , ।ऐसा इसलिए है क्योंकि ये नियम उन मामलों से संबंधित हैं जिनके लिए केंद्रीय सिविल सेवा नियम द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर कर्मचारियों पर लागू नहीं होते थे।तथ्यों के अलावा, हम प्रतिवादीगण के वकील के इस रुख की सराहना करने में असमर्थ हैं कि वेतन निर्धारित करने के उद्देश्य से याचिकाकर्ता को सैन्य सेवा के लाभ का हकदार ठहराया गया था, लेकिन वरिष्ठता के उद्देश्य से उसे इससे वंचित किया जा रहा है।इसलिए, हम इस रिट याचिका की अनुमति देते हैं और प्रतिवादी को निर्देश देते हैं कि वह याचिकाकर्ता की आपातकाल के दौरान सैन्य सेवा को वरिष्ठता के उद्देश्य से और सभी परिणामी लाभों के लिए प्रदान करे।

(पैरा 6,7 और8)

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 226-याचिकाकर्ता अपनी वरिष्ठता के निर्धारण के लिए सैन्य सेवा के लाभ को चुनौती देता है-क्या ऐसे लाभ के अनुदान से प्रभावित होने की संभावना वाले व्यक्ति आवश्यक पक्ष हैं- निर्धारित किया गया-, *नहीं-हालाँकि, ऐसे व्यक्ति एक उपयुक्त मंच के समक्ष कार्रवाई को चुनौती दे सकते हैं।*

यह अभिनिर्धारित किया गया कि जिन व्यक्तियों से याचिकाकर्ता के सैन्य सेवा की गिनती के आधार पर वरिष्ठ होने की संभावना है, उन्हें प्रतिवादीगण के रूप में प्रस्तुत

करने की आवश्यकता नहीं है।कोई विशेष व्यक्ति सैन्य सेवा लाभों का हकदार है या नहीं, यह उस व्यक्ति और राज्य के अधिकारियों के बीच एक सूची है।यदि व्यक्ति क़ानून के तहत किसी विशेष लाभ के अनुदान का हकदार है तो उसे उस व्यक्ति को सुने बिना वह लाभ दिया जाएगा जिससे वह सैन्य सेवा के लाभ के आधार पर वरिष्ठ बन सकता है।इसमें कोई संदेह नहीं है कि ऐसा व्यक्ति सैन्य सेवा लाभों के अनुदान के संबंध में एक उपयुक्त मंच के समक्ष कार्रवाई को चुनौती दे सकता है।

(पैरा 7)

याचिकाकर्ता की ओर से *अधिवक्ता भीम सेन सहगल।*

प्रतिवादीगण की ओर *से एच. एस. ढिंढसा, अधिवक्ता।*

आर. एस. मोंगिया जे. (मौखिक)

(1) याचिकाकर्ता 28 मार्च, 1964 को पहले आपातकाल की अवधि के दौरान सशस्त्र बलों में शामिल हुए थे और सशस्त्र बलों से छुट्टी मिलने के बाद, वे 21 मई, 1982 को केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ में कनिष्ठ अभियंता (मैकेनिकल) के रूप में सिविल सेवा में शामिल हुए।याचिकाकर्ता पंजाब सरकार राष्ट्रीय आपातकाल (रियायत) नियम 1965 (इसके बाद 1965 नियम के रूप में संदर्भित) के तहत वेतन और वरिष्ठता आदि के निर्धारण के उद्देश्य से आपातकाल की अवधि के दौरान अपने द्वारा प्रदान की गई सैन्य सेवा के लाभों का दावा करता है।इस न्यायालय ने 1970 की सिविल रिट याचिका 3228 और 1982 की एल. पी. ए. संख्या 1064 में यह विचार रखा कि 1 नवंबर, 1966 के बाद केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में कार्यरत कर्मचारियों को 1965 के नियमों के तहत सैन्य सेवा का लाभ नहीं दिया जा सकता है।इन निर्णयों के आधार पर केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन ने 2 जून, 1992 को एक परिपत्र जारी किया, जिसमें लिखित बयान के साथ अनुलग्नक आर-4 की प्रतिलिपि दी गई कि 1965 के नियमों के तहत सैन्य सेवा के लाभ उन कर्मचारियों को देने की आवश्यकता नहीं है जो 1 नवंबर, 1966 के बाद केंद्र शासित प्रदेश की सेवा में शामिल हुए थे।हालाँकि, 1965 के नियमों की प्रयोज्यता के मुद्दे को प्रभावित कर्मचारियों द्वारा 1992 के S.L.P.s संख्या 15536, और 1995 के 8218,8219,8220, आदि के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि 1965 के नियम केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के कर्मचारियों पर लागू होते रहेंगे, भले ही वे 1 नवंबर, 1966 के बाद कार्यरत हों, जब तक कि 1965 के नियमों को यू. टी. प्रशासन या संसद द्वारा यू. टी. कर्मचारियों को उनके आवेदन के लिए निरस्त/संशोधित नहीं किया जाता।सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को ध्यान में रखते हुए 11 दिसंबर, 1965 को यू. टी. प्रशासन द्वारा एक और स्पष्टीकरणात्मक निर्देश जारी किया गया था, प्रतिलिपि अनुलग्नक पी-2, जिसके द्वारा 2 जून, 1992 का पूर्व परिपत्र वापस ले लिया गया था और यह निर्धारित किया गया था कि भले ही कोई व्यक्ति 1 नवंबर, 1966 के बाद कार्यरत हो, वह 1965 के नियमों के तहत सैन्य सेवा लाभों का हकदार होगा।

(2) यहां यह देखा जा सकता है कि याचिकाकर्ता को वेतन निर्धारित करने के उद्देश्य

से आपातकाल के दौरान प्रदान की गई सैन्य सेवा का लाभ दिया गया है जैसा कि अनुलग्नक पी-3 से स्पष्ट है जो 20 सितंबर, 1996 का एक कार्यालय आदेश है।हालाँकि, याचिकाकर्ता को उसकी वरिष्ठता निर्धारित करने के लिए सैन्य सेवा का लाभ नहीं दिया गया है।याचिकाकर्ता ने उपरोक्त राहत के लिए केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ पीठ का दरवाजा खटखटाया, लेकिन वह इस आधार पर उपयुक्त नहीं ठहराया गय कि आवश्यक पक्ष जो वरिष्ठता के प्रति सैन्य सेवा लाभों के अनुदान से प्रभावित होगें वह न्यायाधिकरण के समक्ष नहीं हैं।

(3) हमने पक्षों के विद्वान वकील को सुन लिया है।

(4) प्रतिवादीगण के वकील ने तर्क दिया कि वास्तव में याचिकाकर्ता को फरवरी, 1982 के बाद नियुक्त किया गया था, जब पंजाब राज्य द्वारा 1965 के नियमों को निरस्त कर दिया गया था, तो वह इन नियमों के तहत सैन्य सेवा के लाभों का हकदार नहीं है।उन्होंने यह भी दोहराया कि प्रभावित होने की संभावना वाले आवश्यक पक्ष न्यायाधिकरण के समक्ष नहीं थे और इसलिए, न्यायाधिकरण ने याचिकाकर्ता को वादी नहीं ठहराया।

(5) जहां तक फरवरी 1982 में पंजाब राज्य द्वारा 1965 के नियमों को निरस्त करने के संबंध में पहले बिंदु का संबंध है, उसे हमें दयानंद बनाम भारत संघ और अन्य (1) मामले में सर्वोच्च न्यायालय *के* फैसले *के कारण हिरासत में लेने* की आवश्यकता नहीं है, जिसमें विचाराधीन मुद्दा इस प्रकार थाः—

> "अतः विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या 1965 के नियमों को इन कर्मचारियों पर लागू करने के लिए संशोधित, अस्वीकार या निरस्त किया गया था?

(6) उच्चतम न्यायालय के समक्ष कर्मचारी भी यू. टी. प्रशासन के कर्मचारी थे जो 1 नवंबर, 1966 के बाद कार्यरत थे।उपरोक्त प्रश्न का उत्तर देते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी कीः—

> "5.इसका उत्तर भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा 1 नवंबर, 1966 को जारी अधिसूचना संख्या एस. ओ. 3267, एस. ओ. 3268 और एस. ओ. 3269 के निर्माण पर निर्भर करता है।अधिसूचना संख्या एस. ओ. 3267 द्वारा, भारत के राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ के प्रशासक को सौंप दिया गया था, ताकि वे उसमें निर्दिष्ट मामलों के संबंध में नियम बना सकें, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के मामलों के संबंध में उनके प्रशासनिक नियंत्रण के तहत केंद्रीय सिविल सेवाओं और पदों (वर्ग II, वर्ग III और वर्ग IV) में भर्ती की विधि और परिवीक्षा, पुष्टि, ज्येष्ठता और पदोन्नति के उद्देश्यों के लिए ऐसी सेवाओं और पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तें शामिल थीं।अधिसूचना नंबर

---

(1) 1995 (1) SLR 1

एस. ओ. 3268 नियम राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए थे जिन्हें कहा जाता है केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ कर्मचारी नियम, 1966 की सेवा की शर्तें (इसके बाद 1966 नियम के रूप में संदर्भित)।नियम 2 में यह प्रावधान किया गया है कि केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत केंद्रीय सिविल सेवाओं और वर्ग II, वर्ग III और वर्ग IV के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तें राष्ट्रपति द्वारा किए गए किसी भी अन्य प्रावधान के अधीन अन्य संबंधित केंद्रीय सिविल सेवाओं में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों के समान होनी चाहिए।नियम 2 का शेष भाग वर्तमान उद्देश्य के लिए ज़रूरी नहीं है।संक्षेप में नियम 2 के आधार पर, केंद्रीय सिविल सेवाओं पर लागू नियमों को ऐसे कर्मचारियों के लिए सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए लागू किया गया था।नियम 3 महत्वपूर्ण है।यह नीचे लिखा है:—

"3 .परिवीक्षा, पुष्टि, वरिष्ठता और पदोन्नति से संबंधित मामलों पर नियम लागू नहीं होंगे।

इन नियमों में निहित कुछ भी उन व्यक्तियों के संबंध में परिवीक्षा, पुष्टि, वरिष्ठता और पदोन्नति पर लागू नहीं होगा जिनके संबंध में उक्त केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक को 1 नवंबर, 1966 को गृह मंत्रालय संख्या 12/1/66-CHD (I) में भारत सरकार की अधिसूचना के तहत संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान के तहत नियम बनाने के लिए अधिकृत किया गया है।

6. नियम 4 में उन मामलों से संबंधित निरसन का प्रावधान है जिनके लिए नियम 2 में प्रावधान किया गया है।इन नियमों का शुद्ध परिणाम अधिसूचना संख्या एस. ओ. 3268 में निहित यह है कि केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की सेवाओं में पदों के लिए केंद्र शासित प्रदेश के कर्मचारी, जिनके संबंध में राष्ट्रपति द्वारा केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक को नियम बनाने की शक्ति सौंपी गई थी, उन्हें परिवीक्षा, पुष्टि, ज्येष्ठता और पदोन्नति से संबंधित मामलों के संबंध में एस. ओ. 3268 में निहित नियमों द्वारा शासित नहीं किया जाना था।यह दोनों अधिसूचनाओं के संयुक्त पठन और राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचना संख्या SO 3268 द्वारा बनाए गए 1966 के नियमों के नियम 3 में किए गए स्पष्ट प्रावधान का प्रभाव है।दूसरे शब्दों में, निर्दिष्ट मामले के संबंध में श्रेणी II, श्रेणी III और श्रेणी IV सेवाओं में पदों पर आसीन कर्मचारियों के आधार पर।इन मामलों में संबंधित कर्मचारियों में से कोई भी प्रथम श्रेणी की सेवा से संबंधित नहीं है, जिनके लिए केंद्रीय नागरिक नियम परिवीक्षा, पुष्टि, ज्येष्ठता और पदोन्नति से संबंधित मामलों में अधिसूचना संख्या SO 3268 द्वारा लागू किए गए थे

तीसरी अधिसूचना एस. ओ.नंबर 3269 का भी यही प्रभाव है।

7. इसलिए, यह स्पष्ट है कि पंजाब सरकार राष्ट्रीय आपातकाल (रियायत) नियम 1965 केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में 1 नवंबर, 1966 के बाद भी तब तक लागू रहे जब तक कि केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा संशोधित, परिवर्तित या अस्वीकार नहीं किया गया और वे 1 नवंबर, 1966 के बाद केंद्र शासित प्रदेश में नियुक्त कर्मचारियों पर लागू होते रहे जो उन नियमों के लाभ के लिए पात्र थे।ऐसा इसलिए है क्योंकि ये नियम उन मामलों से संबंधित हैं जिनके लिए केंद्रीय सिविल सेवा नियम द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर कर्मचारियों पर लागू नहीं होते थे।इसलिए न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए विपरीत दृष्टिकोण को बरकरार नहीं रखा जा सकता है।

7) जहाँ तक न्यायाधिकरण के समक्ष आवश्यक पक्षों के न होने का प्रश्न है, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने इस तर्क *के समर्थन* में प्रीतम चंद बनाम पंजाब राज्य (2) का हवाला दिया है कि जिन व्यक्तियों से सैन्य सेवा की गिनती के आधार पर याचिकाकर्ता के वरिष्ठ होने की संभावना है, उन्हें न्यायाधिकरण के समक्ष प्रतिवादीगण के रूप में प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।हम याचिकाकर्ता के विद्वान वकील से सहमत हैं।कोई विशेष व्यक्ति सैन्य सेवा लाभ का हकदार है या नहीं, यह उस व्यक्ति और राज्य के अधिकारियों के बीच का मामला है।यदि व्यक्ति क़ानून के तहत किसी विशेष लाभ के अनुदान का हकदार है, तो उसे उस व्यक्ति की बात सुने बिना वह लाभ दिया जाएगा, जिससे वह सैन्य सेवा के लाभ के आधार पर वरिष्ठ बन सकता है।इसमें कोई संदेह नहीं है कि ऐसा व्यक्ति सैन्य सेवा लाभों के अनुदान के संबंध में एक उपयुक्त मंच के समक्ष कार्रवाई को चुनौती दे सकता है।ऊपर वर्णित तथ्यों के अलावा, हम प्रतिवादीगण के वकील के इस रुख की सराहना करने में असमर्थ हैं कि वेतन निर्धारित करने के उद्देश्य से याचिकाकर्ता को सैन्य सेवा के लाभ का हकदार ठहराया गया था, लेकिन ज्येष्ठता के उद्देश्य से उसे इससे वंचित किया जा रहा है।

8) पूर्वगामी कारणों से, हम इस रिट याचिका की अनुमति देते हैं और प्रतिवादी को ज्येष्ठता के उद्देश्य से और सभी परिणामी लाभों के लिए आपातकाल के दौरान याचिकाकर्ता द्वारा प्रदान की गई सैन्य सेवा को गिनने का निर्देश देते हैं।इन निर्देशों को छह महीने की अवधि के भीतर पूरा किया जाए।

आर. एन. आर

(2) 1979 (3) SLR 302

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

सुखवीर कौर
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
हिसार, हरियाणा